



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मैसर्स सोमवीर यादव बनाम डी एस ओ द्वितीय

प्रकरण संख्या 16 / 2020 (रसद अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
29.06.2020	<p>अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मचवाल ने खण्ड 22 (1) (ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 23.06.2020 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। नोटिस विपक्षीगण के जारी हो। तहत रिकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 27.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला कलक्टर</b>  <b>जयपुर</b> </p>	<p>120</p>
27.7.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित है। वकील अपीलार्थी ने अपील को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट पेश किया है। अतः वकील अपीलार्थी के नोट पेश किए जाने से पत्रावली को इसी स्तर पर खाली किया जाता है। पत्रावली नखर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला कलक्टर</b>  <b>जयपुर</b> </p>	<p>NOT press (Pul (सोमवीर यादव) 27/7/20 कोरे 2 पत्रावली नसी-सु 12</p>